Australian Government

Department of Home Affairs

Privacy notice
Visitors to immigration detention facilities
गोपनीयता नोटिस
इमीग्रेशन डिटेंशन फैसिलिटिस (आप्रवास बंदीगृह केन्द्रों) में मिलने आने वाले लोग

Form
1553 HIN
HINDI

The Department of Home Affairs (गृह मामला विभाग) (विभाग) में Australian Border Force (ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल) शामिल है। *Privacy Act 1988 (गोपनीयता अधिनियम 1988)* विभाग के लिए यह आवश्यक बनाता है कि किसी व्यक्ति के बारे में निजी जानकारी एकत्रित करते समय वह उस व्यक्ति को निश्चित मामलों की सूचना दे। यह फॉर्म आपके द्वारा इमीग्रेशन डिटेंशन फैसिलिटिस पर मिलने जाने के संबंध में उन मामलों की आपकी सूचना है।

गोपनीयता अधिनियम

Department of Home Affairs (विभाग) गोपनीयता अधिनियम के शेड्यूल 1 में Australian Privacy Principles (ऑस्ट्रेलियाई गोपनीयता सिद्धांतों) द्वारा बाध्य है। APPs यह नियमित करते हैं कि हम निजी जानकारी को एकत्रित, इसका प्रयोग, प्रकटीकरण और इसकी संभाल कैसे कर सकते हैं, तथा आप अपने बारे में हमारे द्वारा संभाल कर रखी गई निजी जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने, या इसमें संशोधन करने का प्रयास कैसे कर सकते/सकती हैं।

विभाग यह आवश्यक बनाता है कि इसके अनुबंधित सेवा प्रदाता भी गोपनीयता अधिनियम का अनुपालन करें।

गोपनीयता अधिनियम निम्नलिखित को एकत्रित करने की अनुमति देता है:

- संवेदनशील जानकारी:
  - आपकी सहमति के साथ (और यह एकत्रण विभाग के किसी एक या एक से अधिक प्रकार्य या गतिविधि के लिए यथोचित तौर पर आवश्यक हो या इससे सीधे सम्बन्धित हो)
  - एक 'अनुमति-प्राप्त सामान्य स्थिति' में (जैसे कि जहाँ किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को, या जन स्वास्थ्य या सुरक्षा को होने वाले किसी गंभीर खतरे को कम करने या इसकी रोकथाम करने के लिए आवश्यक हो)
  - जहाँ ऑस्ट्रेलियाई कानून या न्यायालय/ट्रिब्यूनल के आदेश के अधीन आवश्यक या प्राधिकृत हो, अथवा
  - विभाग द्वारा या इसकी ओर से की गई प्रवर्तन संबंधी गतिविधियों के लिए
- अन्य निजी जानकारी जहाँ यह विभाग के किसी एक या एक से अधिक प्रकार्य या गतिविधि के लिए यथोचित तौर पर आवश्यक हो या इससे सीधे सम्बन्धित हो।

यह नोटिस विवरण करता है कि हम (विभाग) आपकी निजी जानकारी क्यों एकत्रित कर रहे हैं और इमीग्रेशन डिटेंशन फैसिलिटी पर मिलने जाने के संबंध में हम इसका प्रबंध कैसे करेंगे। निजी जानकारी का प्रबंध करने के अभ्यासों के बारे में अधिक जानकारी **https://www.homeaffairs.gov.au/access-and-accountability/our-commitments/privacy** वेबसाइट पर उपलब्ध विभाग की गोपनीयता नीति में शामिल है

गोपनीयता नीति में निम्नलिखित के बारे में जानकारी शामिल है:

- यह कि आप विभाग द्वारा संभाल कर रखी गई आपकी अपनी निजी जानकारी तक पहुँच कैसे प्राप्त कर सकते/सकती हैं और इसमें संशोधन करने का प्रयास कैसे कर सकते/सकती हैं
- यह कि आप गोपनीयता की उल्लंघना के बारे में और शिकायत का निपटान करने की विभाग की कार्यविधियों के बारे में शिकायत कैसे कर सकते/सकती हैं।

हम आपकी निजी जानकारी को क्यों एकत्रित करते हैं

निजी जानकारी को एकत्रित करने के लिए हमारा प्राथमिक प्रयोजन *Migration Act 1958 (आप्रवास अधिनियम 1958)* के अधीन इमीग्रेशन डिटेंशन का प्रबंध करने से जुड़े विभाग के कार्यों या गतिविधियों को पूरा करना है। गोपनीयता अधिनियम के अधीन, हमें उस प्राथमिक प्रयोजन के लिए आपकी निजी जानकारी का प्रयोग या प्रकटीकरण करने की अनुमति है जिसके लिए इसे एकत्रित किया गया था।

गोपनीयता अधिनियम के अधीन, जानकारी का प्रयोग या प्रकटीकरण किसी द्वितीयक प्रयोजन के लिए भी किया जा सकता है। यह निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकता है:

- आपकी सहमति के साथ
- जहां आप यथोचित तौर पर विभाग द्वारा आपकी निजी जानकारी का प्रयोग या प्रकटीकरण किए जाने की उम्मीद करेंगे और द्वितीयक प्रयोजन या तो सीधे प्राथमिक प्रयोग से संबंधित हो (संवेदनशील जानकारी के लिए) या प्राथमिक प्रयोजन से संबंधित हो (अन्य निजी जानकारी के लिए)
- जहाँ जानकारी का प्रयोग या प्रकटीकरण ऑस्ट्रेलियाई कानून या न्यायालय/ट्रिब्यूनल के आदेश के अधीन आवश्यक या प्राधिकृत हो
- एक 'अनुमति-प्राप्त सामान्य स्थिति' में (जैसे कि जहाँ किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को, या जन स्वास्थ्य या सुरक्षा को होने वाले किसी गंभीर खतरे को कम करने या इसकी रोकथाम करने के लिए आवश्यक हो)
- प्रवर्तन संबंधी प्रयोजनों के लिए।

अपने अनुबंधित सेवा प्रदाता(ओं) के माध्यम से, विभाग निम्नलिखित की सुरक्षा, अच्छी स्थिति, या सिक्योरिटी को बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए आपसे निजी जानकारी एकत्रित करता है:

- इमीग्रेशन डिटेंशन फैसिलिटी की
- इमीग्रेशन डिटेंशन नेटवर्क, और/या
- इमीग्रेशन डिटेंशन फैसिलिटी के सभी कर्मचारियों, बंदियों और आगंतुकों की।

इसमें स्वास्थ्य संबंधित खतरों की पहचान और इनका प्रबंध करना तथा संचारी रोगों की रोकथाम या इनके फैलाव का प्रबंध करने के लिए उचित नियंत्रणों को लागू करना शामिल है।

यह जानकारी, जितना यथोचित रूप से व्यवहार्य हो सके, *Work Health and Safety Act 2011* (Cth) (WHS Act) *(कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2001)* के भाग 2 में 'स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दायित्वों' के अधीन अपने कर्मियों तथा अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के संरक्षण के अपने दायित्व को पूरा करने में विभाग की सहायता करती है।

विभाग द्वारा आपकी निजी जानकारी एकत्रित नहीं किए जाने की स्थिति में परिणाम

यदि आपकी निजी जानकारी एकत्रित नहीं की जाती है, तो इमीग्रेशन डिटेंशन फैसिलिटी पर जाने, या इमीग्रेशन डिटेंशन में किसी व्यक्ति से मिलने के आपके आवेदन को प्रोसेस (प्रसंस्कृत) नहीं किया जा सकता है।

© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2022

हम आपकी निजी जानकारी को कैसे एकत्रित करते हैं

आपकी निजी जानकारी सामान्यत: विज़िटर आवेदनों का आकलन करने वाले अनुबंधित सेवा प्रदाता कर्मचारियों और/या विभाग की ओर से इमीग्रेशन डिटेंशन फैसिलिटिस पर स्क्रीनिंग करने वाले कर्मचारियों द्वारा एकत्रित की जाएगी। जानकारी सामान्यत: सीधे आपसे एकत्रित की जाएगी।

आपकी निजी जानकारी को एकत्रित करना स्वैच्छिक है, परन्तु यदि आपकी निजी जानकारी को एकत्रित नहीं किया जाता है, तो किसी इमीग्रेशन डिटेंशन फैसिलिटी पर जाने, या इमीग्रेशन डिटेंशन में किसी व्यक्ति से मिलने जाने के आपके आवेदन को प्रोसेस (प्रसंस्कृत) नहीं किया जा सकता है।

आपकी निजी जानकारी इमीग्रेशन डिटेंशन फैसिलिटी के रजिस्टर पर शामिल की जाएगी और इसे विभाग के कार्यों या गतिविधियों को करने के प्रयोजनों के लिए, या जहाँ अन्यथा ऑस्ट्रेलियाई कानून द्वारा इसकी अनुमति हो वहाँ, विभाग के अन्य क्षेत्रों को प्रदान किया जा सकता है।

पूरी इमीग्रेशन डिटेंशन फैसिलिटी में क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (CCTV) का संचालन निरंतर हो सकता है। किसी CCTV संचालन कार्य के परिणामस्वरूप आपकी तस्वीर और आवाज़ को कैप्चर (रिकॉर्ड) किया जा सकता है। CCTV संचालन से मिलने वाली ऑडियो और वीडियो का प्रबंध गोपनीयता से किया जाएगा और इसका प्रयोग तथा प्रकटीकरण केवल उपरोक्त प्रयोजनों के लिए या अन्यथा ऑस्ट्रेलियाई कानून द्वारा आवश्यक या प्राधिकृत तरीके से किया जाएगा।

हम आपकी निजी जानकारी का प्रकटीकरण किसे करते हैं

आपकी जानकारी का प्रबंध गोपनीयता से किया जाएगा और इसका प्रयोग या प्रकटीकरण केवल इस नोटिस में दर्शाए गए या अन्यथा गोपनीयता अधिनियम या अन्य ऑस्ट्रेलियाई कानून द्वारा आवश्यक या प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

कॉमनवेल्थ (राष्ट्रमंडल), राज्य या टेरिटरी का कानून ऑस्ट्रेलियाई कानून होता है।

विभाग ऑस्ट्रेलियाई फैडरल पुलिस और/या राज्य या टेरिटरी के पुलिस बल या सेवा जैसी ऑस्ट्रेलिया (कॉमनवेल्थ, राज्य और टेरिटरी) की प्रवर्तनीय संस्थाओं या निकायों को निजी जानकारी का प्रकटीकरण इन परिस्थितियों में कर सकता है: आपके विज़िटर (आगंतुक) आवेदन का आकलन करने के प्रयोजनों के लिए, या जहाँ ऐसा करना प्रवर्तन संबंधी गतिविधि के लिए आवश्यक हो, इस गतिविधि में किसी दण्डनीय अपराध की रोकथाम करना, जांच-पड़ताल करना, इसका पता लगाना और इसपर मुकदमा चलाना या इसके लिए सजा देना शामिल है।

हम कॉमनवेल्थ, राज्य और टेरिटरी सरकार की उन संस्थाओं को आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का प्रकटीकरण कर सकते हैं जो स्वास्थ्य एवं बॉयोसिक्योरिटी (जैव-सुरक्षा) कानूनों का प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार होती हैं।

विदेशी प्राप्तकर्ताओं को निजी जानकारी का प्रकटीकरण

आपकी निजी जानकारी का प्रकटीकरण किसी विदेशी प्राप्तकर्ता को आपकी सहमति के बिना नहीं किया जाएगा, या तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि गोपनीयता अधिनियम के शेड्यूल 1 में APP 6 तथा APP 8 द्वारा इसके लिए अनुमति न दी गई हो।

आप अपनी निजी जानकारी तक पहुँच कैसे प्राप्त कर सकते/सकती हैं या इसमें संशोधन कैसे कर सकते/सकती हैं

आप *Freedom of Information Act 1982* (Cth) *(सूचना अधिनियम की स्वतंत्रता 1982)* और गोपनीयता अधिनियम के अधीन अपनी निजी जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने और इसमें संशोधन करने के लिए निवेदन कर सकते/सकती हैं। हमारी गोपनीयता नीति यह विवरण देती है कि आप हमारे द्वारा आपके बारे में संभाल कर रखी गई निजी जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने या इस जानकारी को संशोधित करने का प्रयास कैसे कर सकते/सकती हैं।

चिंताएँ और शिकायतें

विभाग निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए वचनबद्ध है जो इसे गोपनीयता अधिनियम के अनुसार सौंपी गई है। यदि आपको लगता है कि विभाग ने APPs में दिए हमारे दायित्वों की उल्लंघना करने वाले किसी तरीके से आपकी निजी जानकारी का प्रबंध किया है, तो हमारी गोपनीयता नीति यह विवरण देती है कि आप शिकायत कैसे कर सकते/सकती हैं और हम आपकी शिकायत से कैसे निपटेंगे।

आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते/सकती हैं

संपूर्ण संपर्क विवरण विभाग की वेबसाइट **www.homeaffairs.gov.au** पर पाए जा सकते हैं।

वैकल्पिक तौर पर, आप निम्नलिखित माध्यमों से फीडबैक प्रदान कर सकते/सकती हैं:

- ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म का प्रयोग करके
- लिखित रूप में इस पते पर डाक भेजकर:
The Manager Global Feedback Unit
GPO Box 241
Melbourne VIC 3001 Australia

© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2022